न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :– 269/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ।		1. लूणाराम पत्रु नरसिंगाराम माली 2. सावनलाल पुत्र तेजाराम जाट साकिन बालोतरा 3. दिलीप कुमार पुत्र लुम्बाराम कुम्हार साकिन जसोल। 4. आयुक्त नगर परिषद बालोतरा ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अधिनियम

आदेश दिनाक :– 6.6.2022

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा सं. 25 रकबा 16–01 बीघा भूमि विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि में से 1250 वर्ग फीट भूमि पर बिना विधिविहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये विप्रार्थीगण ने अवैध रूप से कपड़ा फैक्ट्रियों का निर्माण कर लिया और वर्तमान में उनके द्वारा फैक्टियों का संचालन किया जा रहा है । इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । अतः प्रार्थी ने ग्राम जैरला की खसरा संख्या 25 रकबा 16–01 बीघा में से विप्रार्थीगण द्वारा गैरकृषिक रूप में उपयोग में ली गई 1250 वर्ग फीट भूमि से विप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया ।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। बावजूद नोटिस तामील के विप्रार्थी अनुपस्थित रहे ।

प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि की जमाबदी एवं गैरकृषिक उपयोग में ली गई भूमि चिन्हित करते हुए नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं तहसीलदार पचपदरा एवं पटवारी हल्का रामसीन के बयान करवाये गये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:08:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गयी ।

तहसीलदार पचपदरा की बहस है कि विप्रार्थीगण, जो कि ग्राम जैरला की खसरा संख्या 25 रकबा 16–01 बीघा भूमि के रिकार्ड खातेदार हैं, ने बगैर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये उक्त भूमि में से 1250 वर्गफीट भूमि का अकृषिक उपयोग कर उस पर कपडा फैक्ट्रियां निर्मित की। जबकि कृषि भूमि का अकृषिक उपयोग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थी उक्त अकृषिक

.योग में ली जा रही 1250 वर्ग फीट भूमि खालसा सरकार घोषित करवाते हुए राजकीय खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम जैरला तह0 पचपदरा की खसरा संख्या 25 रकबा 16–01 बीघा भूमि के रिकार्डेड खातेदार विप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में से 1250 वर्ग फीट भूमि बिना औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाये उस पर अवैध रूप से फैक्ट्रियां बनाकर कपडा फैक्ट्रियों के रूप में संचालन कर रहे हैं, जो धारा 177 आर. टी.ए के प्रावधानों का उल्लंघन है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 25 रकबा 16–01 बीघा भूमि में से गैरकृषिक उपयोग में ली गई 1250 वर्ग फीट भूमि से विप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त की जाकर राजकीय खाते में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को बाद पैमाइश उक्त अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई 1250 वर्ग फीट भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में पृथक तरमीम सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है ।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 6.6.2022 को इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:08:59 IST
Reason: SelfAttested